PROCEDURE FOR APPLYING FOR AUTHORIZATION UNDER E-WASTE (MANAGEMENT) RULES, 2016

(The State Board accepts application for authorization through online system only and there is no requirement of hard copies of any document)

For New Users:

- 1. Registration for new users can be done through Rajasthan Single Sign On facility available at www.sso.rajasthan.gov.in
- 2. Application will **receive a Login Id & Password on the mobile number & E-mail Id** provided during registration.
- 3. Use the above received Login Id for filling the application.
- 4. Before starting the process of online filling, please **refer the manual/guidelines** available on our website.
- 5. Keep **scanned copies** of required documents in **PDF format** ready so that the same can be uploaded easily.
- 6. Thereafter, Log in and start filling the application. Fields marked with an asterisk (*) are mandatory fields.
- 7. Using the **Payment Option** tab generate a challan number, against which the authorization fee is required to be paid.
- 8. Payment can be made by electronic transfer modes like NEFT/RTGS/Net/Online Banking. At e-Mitra Kisoks payment can be made through cash or debit cards.
- 9. After payment of fees, upload the required documents.
- 10. Check all the information and proceed for **submission**. Notification regarding submission is sent to the registered mobile number.

For Existing Users:

- 1. Check the recent guidelines regarding your sector in the Board's website.
- 2. Follow all the steps from point no. 3 to 10 for submitting application.

Process:

- 1. The application will be scrutinized for the information and/or documents by the appropriate authority.
- 2. Deficiency (if any) shall be communicated to the applicant online which can be tracked through login ID.
- 3. The inspection and analysis reports can also be tracked through login ID.
- 4. Actions taken on the application (deficiencies observed, notices issued) can also be tracked through login ID.
- 5. Final decision taken on the application will be notified to the applicant, which can be tracked through login ID.

- 6. Further, digitally signed copy (with QR Code) of authorization is mailed to the applicant. Applicant can also download the authorization letter from the Board's website or through login ID.
- 7. For online submission of application, users may also avail the facility of e-Mitra kiosk networks available throughout the state.
- 8. For any issue related to online submission, applicant can contact our toll free help line at **1800-180-6127** or **0141-2716877**.

For detailed process map, reference shall be made to the "Operating Manual" and also Guidelines uploaded on the Board's Website time to time.

प्राधिकार हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया

(राज्य मण्डल द्वारा प्राधिकार हेतु आवेदन ऑनलाईन माध्यम द्वारा ही स्वीकार किये जा रहे हैं एवं किसी भी दस्तावेज की कागजी प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है)

नये आवेदक हेतु:--

- 1. ऐसे आवेदकों के रिजस्ट्रेशन के लिए https://sso.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध राजस्थान एकल साईन आन सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।
- 2. रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवेदक के मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल पर "Login ID" एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।
- 3. आवेदन करने हेत् उक्त "Login ID" का प्रयोग करें।
- 4. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व मण्डल की वैबसाईट पर उपलब्ध **मार्गदर्शिका** (Manual/Guidelines) को देखें।
- इसके अतिरिक्त अपलोड करने हेतु वांछित दस्तावेजों की "PDF" फॉर्मेट में स्कैन कॉपी तैयार रखें।
- 6. इसके पश्चात् लॉग—ईन करके आवेदन भरना प्रारम्भ करें। तारक (*) से चिन्हित सूचना भरना अनिवार्य है।
- 7. "Payment Option" टैब का उपयोग करते हुए प्राधिकार आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिये चालान क्रमांक उत्पन्न करें।
- 8. NEFT/RTGS/Net/Online Banking के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराया जा सकता है। ई—मित्र के माध्यम से नकद एवं डेबिट कार्ड द्वारा भी शूल्क जमा कराया जा सकता है।
- 9. आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के पश्चात् वांछित दस्तावेज अपलोड करें।
- 10. आवेदन में भरी गई सूचना को जॉच ले एवं आवेदन को "Submit" कर दे। "Submit" होने के पश्चात आवेदक के मोबाईल पर संदेश प्राप्त होगा।

पुराने आवेदक हेतु:-

- 1. आवेदक मण्डल की वैबसाईट पर अपने सेक्टर से संबंधित दिशा निर्देशों (Guidelines) का अवलोकन करें।
- 2. उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 3 से 10 का पालन करते हुए आवेदन करें।

<u>प्रक्रियाः</u>—

- 1. संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र से संबंधित सूचना एवं / अथवा दस्तावेजों की जॉच की जायेगी।
- 2. आवेदन पत्र में किमयों (यदि कोई है), की सूचना ऑन—लाईन भेजी जायेगी जिसे आवेदक द्वारा लॉग—ईन कर देखा जा सकता है।
- 3. निरिक्षण एवं विश्लेषण प्रतिवेदन भी लॉग-ईन कर देखें जा सकते है।

- 4. आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही (यथा किमयों एवं नोटिस जारी करने की सूचना लॉग—ईन कर देख सकते हैं।
- 5. आवेदन पत्र पर लिये गये अंतिम निर्णय से संबंधित संदेश भी आवेदक द्वारा लॉग—ईन कर देखे जा सकते है।
- 6. प्राधिकार पत्र की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति (QR कोड के साथ) आवेदक को ई—मेल से भेजी जाती है। प्राधिकार पत्र मण्डल की वैबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- 7. ऑनलाईन आवेदन हेत् आवेदक राज्य में उपलब्ध ई-मित्र सेन्टरों का भी उपयोग कर सकते है।
- 8. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु टोल फ्री नम्बर 1800—180—6127 एवं 0141—2716877 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए आपरेटिंग मेन्यूअल एवं राज्य मण्डल की वैबसाईट पर समय-समय पर उपलब्ध मार्गदर्शिकाओं का संदर्भ लिया जा सकता है।